

संशोधित डिगरी व मुकदमे इत्तादाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाबा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
व इजलारा श्री सुनील कुमार आर.ए.एस.

वादीगण

1. प्रभूदान पुत्र श्री लिक्ष्मीदान
2. रूगनाथसिंह पुत्र श्री लिक्ष्मीदान
3. नरपतसिंह श्री लिक्ष्मीदान

जाति चारण निवासी डाबड तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
बनाम

प्रतिवादीगण

1. लिक्ष्मीदान पुत्र श्री राणीदान
2. खोडीदान पुत्र श्री लिक्ष्मीदान
जाति चारण निवासी डाबड तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
3. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गुडामालानी
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या:- 96/2018

निर्णय दिनांक : 13/2/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जगदीश विश्नोंई अधिवक्ता वादीगण व हाजरी रामजीवन विश्नोंई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद मौजा डाबड पटवार मण्डल गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1211/2 रकबा 45-03 बीघा बीघा में वादीगण को 1/5-1/5 प्रत्येक व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/2/20 को जारी की गई।

मुहर

क्रमांक: वाचक/2019/88

प्रतिलिपि : वास्ते पालनार्थ।

1. भूमिधारक तहसीलदार, गुडामालानी।

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

दिनांक : 20/2/20

(सुनील कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी